Witness No…......................**02**..,for–.............**अभियोजन**.................,

Deposition taken on the ...**22.09.2023**.........,day of - witness's apparent age –.....**28**..**वर्ष**

States affirmation on oath......**शपथपूर्वक**.......... my name is –.........**भास्कर रेड्डी**....

D/W/S of – ....**श्री तिरूपति रेड्डी**.......occupation–.......**ड्राइवर**.......

Address – ....**वार्ड क. 4 टेबलर सीट दल्लीराजहरा, जिला–बालोद छ0ग0**........

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 04:20 बजे।

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी तिरूपति मलिक को जानता पहचानता हूं वह मेरे ही मोहल्ले का निवासी है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस की गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गया था वहीं पुलिस के द्वारा कुछ दस्तावेजों पर मेरा हस्ताक्षर सादा कागज पर लिया गया था। मेरे सामने आरोपी के कब्जे से शराब जप्ती की कार्यवाही पुलिस के द्वारा नही किया गया था। 160 नोटिस प्रपी0–01, मुखबिर सूचना पंचनामा प्रपी0–02, तलाशी वारंट प्राप्त न होने बाबत् पंचनामा प्रपी–03, व्यक्ति सामान की तलाशी प्रपी0–04, तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह का प्रपी0–5 व्यक्ति सामान की तलाशी प्रपी0–06, बरामदगी पंचनामा प्रपी0–07 सामान पहचान पंचनामा प्रपी0–08, जप्ती प्रपी–9, सील पंचनामा प्रपी0–10, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी0–11, के **ब से ब** भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

टीप– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने हेतु अनुमति चाही गई। विचार उपरांत अनुमति प्रदान की गई

02. यह कहना गलत है कि पुलिस कथन प्रपी–14 के अ से अ भाग दिनांक 22.11.2022 को रात 7 बजे मार्केट की तरफ जप्ती गिरफ्तारी कार्यवाही पर मेरा हस्ताक्षर है यही मेरा कथन है को पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान दिए जाने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से 40 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री रकम 1600/–रूपये जप्त किए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष प्रपी–1 से प्रपी–11 तक की संपूर्ण कार्यवाही तैयार किए थे। यह कहना गलत है कि चूंकि

आरोपी मेरे ही मोहल्ले का निवासी है इसलिए उसे बचाने के लिए आज झूठा कथन कर रहा हूं।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री सनद श्रीवास्तव, वास्ते आरोपी //

03. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 04:35 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया। गवाह का हस्ताक्षर मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.